2

दिनांक	टी0ए0 मिस केस सं0 202/2018-19 आदेश	अभ्युक्ति
28/06/19	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक विक्रेता श्याम बारी, पिता– स्व० दुर्गा चरण बारी, निवासी ग्राम– कुईदबुसु, थाना– मुफ्फसिल, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– कुईदबुसु, थाना नं०– 575 के अन्दर खाता नं०– 50, प्लॉट नं०– 51, रकवा– 0.10 एकड़ भूमि क्रेता अजय कुमार बिरूवा, पिता– डिबर बिरूवा, ग्राम– बड़ा जयपुर, थाना– मुफ्फसिल चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि हालसर्वे खतियान में आवेदक के दादा के नाम पर दर्ज है। आपसी बंटवारे में आवेदक के हिस्से में मिला है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 428, दिनांक– 18.06.19 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता अजय कुमार बिरुवा पिता डिबर बिरुवा ग्राम- बड़ाजयपुर, थाना– मुफ्फसिल चाईबासा के पास 1,00,000.00/– (एक लाख रूपये) में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रयाप्त है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता श्याम बारी, पिता– स्व० दुर्गा चरण बारी, निवासी ग्राम– कुईदबुसु, थाना– मुफ्फसिल, क्रेता अजय कुमार बिरूवा, पिता– डिबर बिरूवा, ग्राम– बड़ा जयपुर, थाना– मुफ्फसिल चाईबासा के पास जमीन को कुल 1,00,000.00/– (एक लाख रूपये) में मौजा– कुईदबुसु, थाना नं०– 575 के अन्दर खाता नं०– 50, प्लॉट नं०– 51, रकवा– 0.10 एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ....अनुमति.... दी जाती है। लेखापित 28/6 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 28/6/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner